

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2021.

[F. No. 354/207/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 11/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 04/2021 - Central Tax (Rate), dated the 14th June, 2021 vide number G.S.R. 402(E), dated the 14th June, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 07/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 688(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" अन्तःस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 9कक के सामने, कॉलम (3) में, अंकों "2020" के बाद, "जब भी पुनर्निर्धारित हो", शब्दों को अन्तःस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रमांक 9कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9कख	अध्याय 99	भारत में आयोजित होने वाले ए.एफ.सी. महिला एशिया कप, 2022 के अंतर्गत किसी भी समारोह में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः एशियाई फुटबाल परिसंघ (ए.एफ.सी.) और उसकी सहायक इकाइयों के द्वारा या उनको प्रदान की जाने वाली सेवाएं।	शून्य	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा मामले और खेल मंत्रालय प्रमाणित करें कि ये सेवाएं प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः रूप से एएफसी महिला एशिया कप 2022 के तहत किसी भी आयोजन से संबंधित हैं;

(iv) कॉलम (3) में क्रम संख्या 9घ और 13 के सामने, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" अन्तःस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रमांक 19क और 19ख के सामने, कॉलम (5) में, अंक "2021" के स्थान पर, "2022" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(vi) क्रम संख्या 43 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(vii) क्रमांक 61 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“61क	शीर्षक 9991	संपूर्ण भारत/सन्निहित राज्यों में परिचालन के लिए माल ढुलाई के लिए राष्ट्रीय परमिट प्रदान करने के माध्यम से सेवाएं।	शून्य	शून्य”;

(viii) क्रम संख्या 72 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "कुल व्यय" के पश्चात, अंक, प्रतीक और शब्द "का 75% या अधिक" को अन्तःस्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रमांक 74क और 80 के सामने, कॉलम (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" अन्तःस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 82क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“82ख	शीर्ष 9996	एएफसी महिला एशिया कप 2022 के तहत आयोजित कार्यक्रमों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं	शून्य	शून्य”;

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/207/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 05/2020-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 16 अक्टूबर, 2020, सा.का.नि. 643 (अ), दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 07 /2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 688(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, -

(i) against serial number 1, in column (3), after the figures and letters “12AA”, the word, figures and letters “ or 12AB” shall be inserted;

(ii) against serial number 9AA, in column (3), after the words “hosted in India”, the words “whenever rescheduled” shall be inserted;

(iii) after serial number 9AA and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9AB	Chapter 99	Services provided by and to Asian Football Confederation (AFC) and its subsidiaries directly or indirectly related to	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to

		any of the events under AFC Women's Asia Cup 2022 to be hosted in India.		any of the events under AFC Women's Asia Cup 2022.”;
--	--	--	--	--

(iv) against serial numbers 9D and 13, in column (3), after the figures and letters “12AA”, the word, figures and letters “ or 12AB” shall be inserted;

(v) against serial numbers 19A and 19B, in column (5), for the figures “2021”, the figures “2022” shall be substituted;

(vi) serial number 43 and the entries relating thereto shall be omitted;

(vii) after serial number 61 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“61A	Heading 9991	Services by way of granting National Permit to a goods carriage to operate through-out India / contiguous States.	Nil	Nil”;

(viii) against serial number 72, in column (3), after the words “for which”, the figures, symbol and words “75% or more of the” shall be inserted;

(ix) against serial numbers 74A and 80, in column (3), after the figures and letters “12AA”, word, figures and letters “ or 12AB” shall be inserted;

(x) after serial number 82A and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely : -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“82B	Heading 9996	Services by way of right to admission to the events organised under AFC Women's Asia Cup 2022	Nil	Nil”;

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2021.

[F. No. 354/207/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 05/2020 - Central Tax (Rate), dated the 16th October, 2020, published vide number G.S.R. 643(E), dated the 16th October, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 06/2021-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 689(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (iii), (iv) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-